रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1970/कार्तिक 11, 1892
No. 396] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1970/KARTIKA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd November 1970

S.O. 3641/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles, manufactured in the industrial undertakings known as Mohni Mills Ltd., No. 2, Belgharia for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Shri H. C. Jain, General Manager, Delhi Cloth & General Mills Ltd., Delhi.

Members

(2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical) National Textile Corporation.
(3) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation.
(4) Shri U. Chatterjee, Director of Industries, West Bengal Government, Calcutta.
(5) Shri T. N. Pandey, Joint Director Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

Member-Secy.

(6) Shri U. B. Bhattacharya, Director, Regional Office of the Textile Commissioner, Calcutta.

[No. F. 9(20)-LP/70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार विभाग

नई दिल्ली, 2 नवम्बर 1970

का० आ० 3641/15/आई० डी० आर० ए०/70—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मोहनी मिल्स लि०, नं०, 2 बलधोरिया नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है:—

(1) श्री एच० सी० जैन, महाप्रबन्धक, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि०, दिल्ली ।	अध्यक्ष
(2) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन ।	सदस्य
(3) श्री के० के० धर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।	सदस्य
(4) श्री यू० चटर्जी, उद्योग निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।	सदस्य
(5) श्री टी० एन० पांडे, संयुक्त निदेशक निरीक्षण, क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, समवाय विधि बोर्ड, कलकत्ता ।	सदस्य
(6) श्री यू० बी० भट्टाचार्य निदेशक, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता ।	सदस्य-सचिव

[सं० एफ० 9(20)—एल० पी०/70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970